बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–11/9/2017

संख्या–1/श्रम वि०स्था० 4–40–11/2006 श्र०सं०......131....../औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (14, 1947) (Industrial Dispute Act, 1947 (XIV, 1947) की धारा–7 (ए०) (सी०) के साथ पठित धारा–(8) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विश्वेश्वर नाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 (तीन) वर्ष अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले घटित हो, के लिए पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना के पद पर पुनर्नियोजन करते हुए निम्नांकित शर्त्तों के अधीन नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है :–

1. श्री विश्वेश्वर नाथ मिश्रा का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं०–1434, दिनांक 09.3. 2000 के अन्तर्गत किया जायेगा। उक्त प्रावधान के अनुसार अन्तिम प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि घटाये जाने पर जो राशि बचेगी, वही राशि उन्हें वेतन के रूप में अनुमान्य होगी।
2. सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार के सेवकों की भाँति मकान किराया भत्ता देय होगा।
3. सरकारी सेवकों की भाँति समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ता देय होगा।
4. सरकारी सेवकों की भाँति चिकित्सा भत्ता एवं परिवहन भत्ता देय होगा।
5. सरकारी सेवकों की भाँति यात्रा भत्ता देय होगा।
6. श्री विश्वेश्वर नाथ मिश्रा की सेवायें एक महीने की पूर्व नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
7. इनका मुख्यालय पटना रहेगा।
8. श्री विश्वेश्वर नाथ मिश्रा, पीठासीन पदाधिकारी, पटना न्यायाधिकरण, पटना में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनादि के निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भी होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11/9/17

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–1/श्रम वि०स्था० 4–40–11/2006 श्र०सं० ......131....../ पटना, दिनांक–11/9/2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार, बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना/मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त बिहार, पटना/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना/पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर/सभी पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय/सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार/सभी उप श्रमायुक्त, बिहार/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/(विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/9/17
सरकार के उप सचिव।